

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 287]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 18 मई 2010—वैशाख 28, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 मई 2010

क्र. एफ-ए 3-19-2009-1-पांच (60).—यतः, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल किए जाने चाहिए.

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में—

(1) नियम 7 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“7क. मान्यता प्रमाण-पत्र का प्रदान किया जाना और घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया जाना—

(1) धारा 10-क की उपधारा (5) के अधीन मान्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए, आवेदन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्ररूप 3-ख में किया जाएगा और वह रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा उक्त प्ररूप में उपबंधित रीति में उसका सत्यापन किया जाएगा.

(2)(क) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन, आवेदन प्राप्त होने पर सात दिन से अनधिक की कालावधि के भीतर, आवेदक से यह अपेक्षा करेगा कि वह अपने आवेदन में दिए गए ब्यौरों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करें. यदि प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि आवेदक मान्यता प्रमाण-पत्र धारण करने का पात्र है, तो वह उसके लिए कारण लेखबद्ध करने के पश्चात्, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिनों के अपश्चात्, आवेदक को प्ररूप 3-ग में मान्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा.

(ख) यदि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि रजिस्ट्रीकृत व्यापारी मान्यता प्रमाण-पत्र धारण करने का पात्र नहीं है, तो वह उस आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, समुचित

निर्णय लेगा. यदि आवेदन नामंजूर किया जाता है, तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी नामंजूरी के आदेश की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर आवेदक को उसकी सूचना देगा.

(ग) खण्ड (क) के अधीन प्रदान किया गया मान्यता प्रमाण-पत्र,—

(एक) धारा 10-क की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना की तारीख से या यदि आवेदन इस अधिसूचना के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाता है, तो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से, जो भी बाद में हो;

(दो) यदि आवेदन इस अधिसूचना के प्रकाशन से तीस दिन के बाद प्रस्तुत किया जाता है, तो आवेदन करने की तारीख से;

विधिमान्य होगा.

- (3) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को प्रदत्त मान्यता प्रमाण-पत्र तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि उसे धारा 17 के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रवृत्त बना रहता है और जिस तारीख से ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रवृत्त नहीं रहे, उस तारीख से मान्यता प्रमाण-पत्र भी प्रवृत्त नहीं रहेगा.
- (4) जहां रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी ने इस नियम को भंग किया है या देय कर के भुगतान में व्यतिक्रम किया है या वे परिस्थितियां, जिनके आधार पर व्यापारी को मान्यता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, विद्यमान नहीं हैं तो वह उप नियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् व्यापारी को प्रदत्त मान्यता प्रमाण-पत्र रद्द कर सकेगा.
- (5) उप नियम (4) के अधीन मान्यता प्रमाण-पत्र रद्द करने वाले आदेश की एक प्रति व्यापारी को रद्दकरण के आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर भेजी जाएगी.
- (6) नियम 13, 14, 15, 16, 17, 18 तथा 19 के उपबंध उपनियम (2) के खण्ड (क) के अधीन जारी किए गए मान्यता प्रमाण-पत्र को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.
- (7) कोई व्यापारी, जो अपने टर्न ओवर में से धारा 10-क की उपधारा (6) के अधीन कटौती का दावा करना चाहता हो, तो वह उस कालावधि जिससे घोषणा संबंधित हो, की समाप्ति के पश्चात् तीन माह के भीतर, प्ररूप 3-घ में एक सत्य घोषणा प्रस्तुत करेगा जो क्रय करने वाले व्यापारी द्वारा सम्यक् रूप से भरी गई और हस्ताक्षरित की गई हो. प्ररूप 3-घ में की घोषणा में किसी वित्तीय वर्ष की किसी तिमाही में हुए विक्रय के सभी संव्यवहार सम्मिलित किये जा सकेंगे.”

(2) नियम 8 में, उप नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(4-क) (क) प्ररूप 5 में विवरणी निम्नलिखित में से किसी भी रीति में प्रस्तुत की जा सकेगी, अर्थात् :—

(एक) डिजिटल हस्ताक्षर से इलेक्ट्रानिक रीति में विवरणी प्रस्तुत किया जाना;

(दो) डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रानिक रीति में विवरणी में आंकड़ों का भेजा जाना और तत्पश्चात् प्ररूप 5-ख में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत किया जाना.

(ख) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा यह उपबंध कर सकेगी कि ऐसी तारीख को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधियों के संबंध में तथा ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी या रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों के वर्ग द्वारा जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, विवरणी, हार्ड कापी के साथ या उसके बिना जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल (www.mptax.net/www.mptax.gov.in) के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट रीतियों में से किसी रीति में प्रस्तुत की जाएगी.”

(3) नियम 8-क में, उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण : ऐसी संकर्म संविदा को, जिसका निष्पादन 24-9-2009 के पूर्व प्रारंभ हुआ हो, अधिसूचना क्रमांक एफ. ए.-3-19-2009-1-5-27, दिनांक 24-9-2009 द्वारा संशोधन किए जाने से पूर्व यथाविनिर्दिष्ट प्रशमन की दरें लागू होंगी.”

(4) नियम 11 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“11-क रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन का इलेक्ट्रानिक रीति में फाईल किया जाना.

राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह उपबंध कर सकेगी कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग द्वारा, धारा 17 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के लिए आवेदन, प्ररूप 6 में, इलेक्ट्रानिक रीति में, हार्ड कॉपी के साथ या उसके बिना जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, डिजिटल हस्ताक्षर से या उसके बिना जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल (www.mptax.net/www.mptax.gov.in) के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा. ऐसे आवेदन को नियम 11 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.”

(5) नियम 21 में, उपनियम (9) का लोप किया जाए.

(6) नियम 23 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“23-क विवरणी का इलेक्ट्रानिक रीति में फाईल किया जाना.

(1) विवरणी, प्ररूप 10 में, निम्नलिखित रीतियों में से किसी एक रीति में प्रस्तुत की जा सकेगी, अर्थात् :—

(एक) डिजिटल हस्ताक्षर से इलेक्ट्रानिक रीति में विवरणी प्रस्तुत किया जाना;

(दो) डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रानिक रीति में विवरणी में आंकड़ों का भेजा जाना और तत्पश्चात् प्ररूप 10-क में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत किया जाना.

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह उपबंध कर सकेगी कि ऐसी तारीख को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधियों के संबंध में तथा ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी या रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों के वर्ग द्वारा जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, विवरणी, हार्ड कॉपी के साथ या उसके बिना जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल (www.mptax.net/www.mptax.gov.in) के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीतियों में से किसी रीति में प्रस्तुत की जाएगी.

(3) ऐसी विवरणी को नियम 21 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.”

(7) नियम 45 में, उपनियम (2-क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(2-ख) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह उपबंध कर सकेगी कि प्ररूप 31 या प्ररूप 32 में सम्यक् रूप में भरा हुआ प्रमाण-पत्र, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को, इलेक्ट्रानिक रीति में, विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल (www.mptax.net/www.mptax.gov.in) के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार जारी किया जाएगा.”;

(8) नियम 45-क में, उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(3-क) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह उपबंध कर सकेगी कि प्ररूप 31-क में सम्यक् रूप से भरा हुआ प्रमाण-पत्र, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी या रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों के किसी वर्ग को, इलेक्ट्रॉनिक रीति में विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल (www.mptax.net/www.mptax.gov.in) के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, जारी किया जाएगा.”

(9) नियम 70 में, उपनियम (3) में, शब्द, कोष्टक और अंक “उपनियम (1) और (2) में ” के स्थान पर, शब्द, कोष्टक, अंक और अक्षर “उपनियम (1), (2) और (2क) में ” स्थापित किए जाएं;

(10) नियम 75 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(2-क) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह उपबंध कर सकेगी कि प्ररूप 49 में सम्यक् रूप से भरी हुई घोषणा, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी या रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों के किसी वर्ग को, इलेक्ट्रॉनिक रीति में, विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल (www.mptax.net/www.mptax.gov.in) के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, जारी की जाएगी.”

(11) प्ररूप 3-क के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“प्ररूप—3 ख

[नियम 7-क (1) देखिए]

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 10-क के अधीन मान्यता प्रमाण-पत्र
प्रदान किए जाने के लिये आवेदन

प्रति,

..... (पदनाम)
..... वृत्त

मैं/ *हम जो कि के नाम से ज्ञात कारबार का, जिसका कि एक मात्र मुख्य स्थान .
..... नगर/ *ग्राम. तहसील जिला. म्युनिसिपल वार्ड क्रमांक
(केवल म्युनिसिपल क्षेत्रों के लिए) में स्थित है, स्वामी/ *प्रबंधक/ *भागीदार/ *निदेशक हूं/हैं, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन
टिन. धारक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी होने के कारण मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 10-क के अधीन मान्यता
प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के लिए एतद्वारा आवेदन करता हूं/ है.

2. मैं/ *हम निम्नलिखित मालों का विक्रय हेतु निर्माण करता हूं/करते हैं,—

(एक). (दो).

3. मान्यता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन किए जाने का कारण यह है कि क्रय किया गया माल. (माल विनिर्दिष्ट करें)
राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट विनिर्माण की प्रक्रिया में उपभोग हेतु है.

4. मैं एतद्वारा कथन करता हूं कि इसमें जो कुछ कथित है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान
तारीख

हस्ताक्षर एवं सील
प्रास्थिति

*जो लागू न हो, उसे काट दें.

प्ररूप—3 ग

[नियम 7-क (2) (क) देखिए]

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 10-क के अधीन मान्यता प्रमाण-पत्र

क्रमांक

तारीख

श्री जो के नाम से ज्ञात कारबार कर रहे हैं और जो मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 17 के अधीन टिन धारक व्यापारी है, को एतद्वारा अधिनियम की धारा 10-क अधीन मान्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है.

2. यह मान्यता प्रमाण-पत्र विनिर्माण की प्रक्रिया में उपभोग के लिये उक्त व्यापारी द्वारा क्रय किए जा रहे निम्नलिखित मालों के संबंध में प्रभावी रहेगी :—

(1) (2)

सील
तारीख
स्थान

हस्ताक्षर
(पदनाम)
. वृत्त

प्ररूप—3 घ

[नियम 7-क (7) देखिए]

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 10-क के अधीन घोषणा

मैं (क्रेता का नाम तथा पता) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन टिन और मान्यता प्रमाण-पत्र क्रमांक का धारक एतद्वारा, घोषणा करता हूँ कि उक्त अधिनियम के अधीन टिन धारक व्यापारी श्री से मैंने माल क्रय किया है जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं.

2. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि—

- (क) क्रय किया गया माल, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विनिर्माण की प्रक्रिया में उपभोग के लिए है;
- (ख) मेरा उक्त टिन/मान्यता प्रमाण-पत्र उक्त मालों के क्रय की तारीख को लागू था.

क्रय किए गए माल की विशिष्टियां

क्रय आदेश/बिल/इनवाइस/ केशमेमो/चालान की विशिष्टियां (1)	क्रय किए गए माल का विवरण (2)	मात्रा (3)	मूल्य (4)
--	------------------------------------	---------------	--------------

कुल मूल्य (अंकों में) रुपये (शब्दों में) रुपये मात्र.

स्थान
तारीख

व्यापारी के हस्ताक्षर एवं सील
प्रास्थिति

(12) प्ररूप 5 में, अनुक्रमांक (1) से (11) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

- “(1) सकल टर्नओवर
 (2) करमुक्त माल का टर्नओवर
 (3) (क) अनुसूची-दो के भाग-तीन में
 विनिर्दिष्ट माल का टर्नओवर
 (ख) (कोई अन्य कटौती, हो तो विनिर्दिष्ट करें)
 (4) करयोग्य टर्नओवर
 (5) अनुक्रमांक (4) के माल को सम्मिलित करते हुए, क्रय किए गए माल के विक्रय से संबंधित टर्नओवर.
 (6) अनुक्रमांक (4) में सम्मिलित विनिर्मित पके हुए भोजन से संबंधित टर्नओवर
 (7) अनुक्रमांक (4) में सम्मिलित अन्य विनिर्मित माल से संबंधित टर्नओवर
 (8) अनुक्रमांक (5) में उल्लिखित टर्नओवर पर एकमुश्त-0.5 प्रतिशत की दर से
 (9) अनुक्रमांक (6) में उल्लिखित टर्नओवर पर एकमुश्त-3 प्रतिशत की दर से
 (10) अनुक्रमांक (7) में उल्लिखित टर्नओवर पर एकमुश्त-4 प्रतिशत की दर से
 (11) कुल एकमुश्त देय (8+9+10)
 (12) धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन देय रकम
 (13) कुल देय रकम (11+12)”

(13) प्ररूप 5-क के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“प्ररूप—5 ख

[नियम 8(4-क) देखिए]

विवरणी सत्यापन प्ररूप

वित्तीय वर्षकी	तिमाही/ वार्षिक	दिन	2	3			
विवरणी की कालावधि व्यापारी का नाम तथा पता	तारीख	मास	वर्ष	से	तारीख	मास	वर्ष
(सील लगाएं) ई-फाइलिंग अभिस्वीकृति का क्रमांक	दिनांक	तारीख	मास	वर्ष			

- (1) सकल टर्नओवर
- (2) करमुक्त माल का टर्नओवर
- (3) (क) अनुसूची-दो के भाग-तीन में
विनिर्दिष्ट माल का टर्नओवर
(ख) (कोई अन्य कटौती, हो तो विनिर्दिष्ट करें)
- (4) करयोग्य टर्नओवर [1-(2+3)]
- (5) अनुक्रमांक (4) के माल को सम्मिलित करते हुए क्रय किए गए माल के विक्रय से संबंधित टर्नओवर.
- (6) अनुक्रमांक (4) में सम्मिलित विनिर्मित पके हुए भोजन से संबंधित टर्नओवर
- (7) अनुक्रमांक (4) में सम्मिलित अन्य विनिर्मित माल से संबंधित टर्नओवर
- (8) अनुक्रमांक (5) में उल्लिखित टर्नओवर पर एकमुश्त-0.5 प्रतिशत की दर से
- (9) अनुक्रमांक (6) में उल्लिखित टर्नओवर पर एकमुश्त-3 प्रतिशत की दर से
- (10) अनुक्रमांक (7) में उल्लिखित टर्नओवर पर एकमुश्त-4 प्रतिशत की दर से
- (11) कुल एकमुश्त देय (8+9+10)
- (12) धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन देय रकम
- (13) कुल देय रकम (11+12)
- (14) कुल संदत्त रकम

घोषणा

में (नाम) उपरोक्त व्यवसाय फर्म का होते हुए एतद्वारा, घोषित करता हूँ कि विवरणी में, जो कि मेरे द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रीति में भेजी गई है, ऊपर उल्लिखित अभिस्वीकृति क्रमांक देखिए, दी गई जानकारी एवं विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं.

स्थान

तारीख

व्यापारी के हस्ताक्षर

टिप्पणः— मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 11 के उप नियम (1) में विहित किसी व्यक्ति द्वारा यह प्ररूप हस्ताक्षरित किया जाएगा.

केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए

वित्त वर्षकी तिमाही/वर्ष के
लिये विवरणी सत्यापन प्ररूप तारीख को प्रस्तुत
किया गया -----/-----/-----

प्राप्त करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर
(कर्मचारी का आई.डी.)

एप्लीकेशन साफ्टवेयर में प्रविष्टि
की तारीख

डाटा एन्ट्री करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर
(कर्मचारी का आई.डी.)

अभिस्वीकृति

विवरण सत्यापन प्ररूप प्राप्ति क्रमांक तारीख

वित्तीय वर्ष	तिमाही/वर्ष	दिन	2	3
.की				

व्यापारी का नाम तथा पता
(सील लगाएं)

वृत्त कार्यालय

प्राप्त करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर
(कर्मचारी का आई. डी.)”;

(14) प्ररूप 10 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

प्ररूप—10 क
(नियम 23-क देखिए)

विवरण सत्यापन प्ररूप

वित्त वर्ष	तिमाही/मास	दिन	2	3	मूल/पुनरीक्षित		
. का वर्ष							
विवरण की	तारीख	मास	वर्ष	से	तारीख	मास	वर्ष
कालावधि							
व्यापारी का नाम							
तथा पता							
(सील लगाएं)							
ई-फाइलिंग							
अभिस्वीकृति क्रमांक				दिनांक	तारीख	मास	वर्ष

1. सकल टर्नओवर (जी.टी.ओ.)
2. कटौतियां
3. करयोग्य टर्नओवर (1-2)
4. वेट
5. क्रय कर
6. आगत कर रिबेट का रिवर्सल
7. विलंबित भुगतान पर ब्याज (यदि कोई हो)
8. आस्थगित/छूट प्राप्त कर की रकम
9. कुल देय रकम (4+5+6+7-8)
10. आगत कर रिबेट
11. पूर्ववर्ती तिमाही से अग्रणीत किया गया लागत कर रिबेट और अन्य क्रेडिट
12. अन्य क्रेडिट (टीडीएस, आरएओ आदि)
13. चालान से संदत्त की गई रकम
14. आगामी तिमाही में आगे बढ़ाई गई असमायोजित रिबेट एवं अन्य क्रेडिट
15. (टी.डी.एस. आर.ए. ओ, एवं चालान की रकम)

घोषणा

मैं (नाम) उपरोक्त व्यवसाय फर्म का होते हुए एतद्वारा, घोषित करता हूँ कि विवरणी में, जो कि मेरे द्वारा इलेक्ट्रानिक रीति में भेजी गई है, ऊपर उल्लिखित अभिस्वीकृति क्रमांक देखिए, में दी गई जानकारी एवं विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं।

स्थान

तारीख

व्यापारी के हस्ताक्षर

टिप्पणः— मध्यप्रदेश वेत नियम, 2006 के नियम 11 के उप नियम (1) में विहित किसी व्यक्ति द्वारा यह प्ररूप हस्ताक्षरित किया जाएगा।

केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए

वित्त वर्ष की मास/तिमाही/ वर्ष के लिये विवरणी सत्यापन प्ररूप / / को प्रस्तुत किया गया दिनांक को

प्राप्त करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर
(कर्मचारी का आई.डी.)

आवेदन साफ़वेअर में प्रविष्ट किया गया

डाटा एन्ट्री करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर
(कर्मचारी का आई.डी.)

अभिस्वीकृति

विवरणी सत्यापन प्ररूप प्राप्ति क्रमांक तारीख / /

वित्त वर्ष का वर्ष/तिमाही/मास टिन 2 3

व्यापारी का नाम तथा पता
(सील लगाएं)

वृत्त कार्यालय

प्राप्त करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर
(कर्मचारी का आई. डी.)”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 मई 2010

क्र. एफ(ए) 3-19-2009-1-पांच (60).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-(ए) 3-19-2009-1-पांच (60), दिनांक 18 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 18th May 2010

No. F. A-3-19-2009-1-V-(60).—WHEREAS, the State Government considers it necessary that the following amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 should be made at once without previous publication in the official Gazette;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) after rule 7, the following rule shall be inserted, namely:—

“7-A Grant of certificate of recognition and submission of declaration.

- (1) An Application for grant of a certificate of recognition under sub-section (5) of Section 10-A, shall be made in Form 3-B to the Registering Authority and shall be signed by the registered dealer and verified in the manner provided in the said Form.
- (2) (a) On receipt of the application under sub-rule (1), the Registering Authority shall within a period not exceeding seven days require the applicant to furnish evidence in support of the particulars given in the application. If on the basis of the evidence furnished, the Registering Authority is satisfied that the applicant is eligible for holding a certificate of recognition, it shall after recording reasons, grant the applicant a certificate of recognition in Form 3-C not later than fifteen days of the date of receipt of the application.
- (b) If the Registering Authority is satisfied that the registered dealer is not eligible to hold the certificate of recognition, it shall, after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard, take appropriate decision. If the application is rejected, the Registering Authority shall send an intimation thereof to him within fifteen days from the date of order of rejection.
- (c) The certificate of recognition granted under clause (a) shall be valid from—
 - (i) the date of notification under sub-section (1) of Section 10-A or the date of registration, whichever is later, if the application is made within thirty days from the publication of this notification;
 - (ii) the date of application, if the application is made after thirty days from the publication of this notification.
- (3) The certificate of recognition granted to a registered dealer shall be valid till the registration certificate issued to him under Section 17 remains in force and shall cease to be in force from the date, such registration certificate ceases to be in force.
- (4) Where the registering authority has reasons to believe that a registered dealer has committed breach of this rule or defaulted in the payment of tax due or the circumstances on the basis of which the certificate of recognition issued to the dealer does not exist, it may, notwithstanding anything contained in sub-rule (3), after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, cancel the recognition certificate granted to the dealer.
- (5) A copy of the order cancelling the recognition certificate under sub-rule (4) shall be sent to the dealer within fifteen days from the date of order of cancellation.

- (6) The provisions of rules 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 shall *mutatis mutandis* apply to the certificate of recognition issued under clause (a) of sub-rule (2).
- (7) A dealer who desires to claim deduction under sub-section (6) of Section 10-A from his turnover, shall submit a true declaration in Form 3-D duly filled in and signed by the purchasing dealer within three months after the end of the period to which the declaration relates. A declaration in Form 3-D may cover all transactions of sales, which take place in a quarter of a financial year."

(2) In rule 8, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(4-A) (a) The return in Form 5 may be furnished in any of the following manners, namely:—

- (i) furnishing the return electronically under digital signature;
- (ii) transmitting the data in the return electronically without digital signature and thereafter submitting the verification of the return in Form 5-B.

(b) The State Government may, by notification, provide that the return, with or without a hard copy as may be specified in the notification, in respect of the periods starting on or after such date and by such registered dealer or class of registered dealers as may be specified in the said notification, shall be furnished in any of the manners specified in clause (a) through the official web portal of the department (www.mptax.net/www.mptax.gov.in) in accordance with the instructions given in the web portal."

(3) In rule 8-A, after sub-rule (4), the following explanation shall be inserted, namely:—

"**Explanation:** The rates of composition as specified before the amendment by the notification No. FA-19-2009-1-5-27, dated 24-9-2009, shall be applicable to a works contract, execution of which has commenced before 24-9-2009."

(4) After rule 11, the following rule shall be inserted, namely:—

"**11-A Electronic filing of application for grant of registration certificate.**—The State Government may, by notification, provide that an application for grant of registration certificate under Section 17 shall be furnished by a dealer or a class of dealers specified in the said notification, with or without a hard copy as specified in the notification, electronically in Form 6, with or without digital signature as specified in the said notification, as may be specified, through the official web portal of the department (www.mptax.net/www.mptax.gov.in) in accordance with the instructions given in the web portal. The provisions of rule 11 shall *mutatis mutandis* apply to such application."

(5) In rule 21, sub-rule (9) shall be omitted.

(6) After rule 23, the following rule shall be inserted, namely:—

"**23-A Electronic filing of return.**

(1) The return in Form 10 may be furnished in any of the following manners, namely:—

- (i) furnishing the return electronically under digital signature;
- (ii) transmitting the data in the return electronically without digital signature and thereafter submitting the verification of the return in Form 10-A.

- (2) The State Government may, by notification, provide that the return, with or without a hard copy as may be specified in the notification, in respect of the periods starting on or after such date and by such registered dealer or class of registered dealers as may be specified in the said notification, shall be furnished in any of the manners specified in sub-rule (1) through the official web portal of the department (www.mptax.net/www.mptax.gov.in) in accordance with the instructions given in the web portal.
- (3) The provisions of rule 21 shall mutatis mutandis apply to such return.”.
- (7) In rule 45, after sub-rule (2-A), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
- “(2-B) The State Government may, by notification, provide that a certificate in Form 31 or Form 32 duly filled, shall be issued to a person or a class of persons specified in the said notification, electronically through the official web portal of the department (www.mptax.net/www.mptax.gov.in) in accordance with the instructions given in the web portal.”;
- (8) In rule 45-A, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
- “(3-A) The State Government may, by notification, provide that a certificate in Form 31-A duly filled, shall be issued to a registered dealer or a class of registered dealers specified in the said notification, electronically through the official web portal of the department (www.mptax.net/www.mptax.gov.in) in accordance with the instructions given in the web portal.”.
- (9) In rule 70, in sub-rule (3), for the words, brackets and figures “in sub-rule (1) and (2)”, the words, brackets, figures and letter “in sub-rule (1), (2) and (2A)” shall be substituted.
- (10) In rule 75, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
- “(2-A) The State Government may, by notification, provide that a declaration in Form 49 duly filled, shall be issued to a registered dealer or a class of registered dealers specified in the said notification, electronically through the official web portal of the department (www.mptax.net/www.mptax.gov.in) in accordance with the instructions given in the web portal.”.
- (11) After Form 3-A, the following Forms shall be inserted, namely:—

“FORM 3-B

[See rule 7-A(1)]

**Application for grant of a certificate of recognition under Section 10-A of the
Madhya Pradesh Vat Act, 2002**

To,

The (Designation),
..... Circle

I/*We /Proprietor/*Manager/Partner/Director of the business known as being a registered dealer holding TIN under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 whereof the only/*Principal place of business is situated at town/*Village Tehsil District Municipal Ward No. (for Municipal areas only), do hereby apply for grant of a certificate of recognition under Section 10-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.

2. I/*We manufacture the following goods for sale:

(i) (ii)

3. This application for certificate of recognition is being made for the reason that the (specify the goods) purchased are for consumption in the manufacturing process as specified by the State Government.

4. I do hereby state that what is stated herein is true to the best of my knowledge and belief.

Place

Signature and seal

Date

Status

*Strike out whichever is not applicable.

FORM 3-C

[See rule 7-A(2)(a)]

**Certificate of Recognition under Section 10-A
of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002**

No.

Date

Shri who is carrying on the business known as and is a dealer holding TIN under Section 17 of Madhya Pradesh Vat Act, 2002 is hereby granted a certificate of recognition under Section 10-A of the Act.

2. This certificate of recognition shall hold good, in respect of the following goods being purchased by the aforesaid dealer for consumption in manufacturing process:—

(1) (2)

Seal

Signature and seal

Date

(Designation)

Place

. Circle

FORM 3-D

[See rule 7-A (7)]

Declaration

Under Section 10-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002

I, (Name and address of the purchaser) holding TIN and recognition certificate No. under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 hereby declare that I have purchased goods the particulars of which are given below, from Shri a dealer holding TIN under the said Act.

2. I further declare that—

(a) the goods purchased are for consumption in the manufacturing process specified by the State Government.

(b) my said TIN/certificate of recognition was in force on the date of purchase of the aforesaid goods.

Particulars of goods purchased

Particulars of *purchase order/ bill/invoice/cash memo/challan (1)	Description of goods purchased (2)	Quantity (3)	Value (4)
--	--	-----------------	--------------

Total

Total value (in figures) Rs. (in words) Rs. only.

Place

Signature and seal of the dealer

Date

Status".

- (12) In Form 5, for serial numbers (1) to (11) and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

- “(1) Gross Turnover
 (2) Turnover of tax free goods
 (3) (a) Turnover of goods specified in part III of Schedule II
 (b) (Specify, if any other deduction)
 (4) Taxable turnover [1-(2+3)]
 (5) Turnover relating to sale of goods purchased included in serial number (4)
 (6) Turnover relating to cooked food manufactured included in serial number (4)
 (7) Turnover relating to other goods manufactured included in serial number (4)
 (8) Lump-sum @ 0.5% on turnover mentioned in serial number (5)
 (9) Lump-sum @ 3% on turnover mentioned in serial number (6)
 (10) Lump-sum @ 4% on turnover mentioned in serial number (7)
 (11) Total lump-sum payable (8+9+10)
 (12) Amount payable under sub-section (3) of Section 11
 (13) Total amount payable (11+12)”.

- (13) After Form 5-A, the following Form shall be inserted, namely:—

“FORM 5-B
 [See rule 8 (4-A)]
Return verification Form

Quarter/Year	of	TIN	2	3				
	F.Y.							
Return For the period	DD	MM	YYYY	To	DD	MM	YYYY	
Name and address of the Dealer (Affix Seal)								
E-filing Acknowledgement Number				Date	DD	MM	YYYY	

- (1) Gross Turnover
 (2) Turnover of tax free goods
 (3) (a) Turnover of goods specified in part III of Schedule II
 (b) (Specify, if any other deduction)
 (4) Taxable turnover [1-(2+3)]

- (5) Turnover relating to sale of goods purchased included in serial number (4)
- (6) Turnover relating to cooked food manufactured included in serial number (4)
- (7) Turnover relating to other goods manufactured included in serial number (4)
- (8) Lump-sum @ 0.5% on turnover mentioned in serial number (5)
- (9) Lump-sum @ 3% on turnover mentioned in serial number (6)
- (10) Lump-sum @ 4% on turnover mentioned in serial number (7)
- (11) Total lump-sum payable (8+9+10)
- (12) Amount payable under sub-section (3) of Section 11
- (13) Total amount payable (11+12)
- (14) Total amount paid.

DECLARATION

I(Name) being
of the above business firm do hereby declare that the information and particulars given in the return which has been transmitted electronically by me *vide* acknowledgement number mentioned above are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Place
Date :

Signature of the dealer

Note.—This Form shall be signed by any person as prescribed in sub-rule (1) of rule 11 of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006.

For Office Use only

Return Verification Form for the quarter/year
of F. Y.
submitted on : / /

Signature of Receiving
Official
(Employee ID)

Entered into application
Software on : / /

Signature of Data Entry
Official
(Employee ID)

ACKNOWLEDGEMENT

Return Verification Form Receipt Number :

Date: / /

Quarter/year of F.Y. TIN 2 3

Name of the Dealer and address:
(Affix Seal)
Circle Office

Signature of Receiving Official
(Employee ID:)"

(14) After Form 10, the following Form shall be inserted, namely:—

“FORM-10-A
(See rule 23-A)
Return Verification Form

(Original/Revised)

Year/Quarter/month of F.Y. TIN 2 3

Return For the period DD MM YYYY To DD MM YYYY

Name and address of the Dealer (Affix Seal)

E-filing Acknowledgement Number Date DD MM YYYY

1. Gross turnover (GTO)
2. Deductions
3. Taxable turnover (1-2)
4. Vat
5. Purchase tax
6. Reversal of Input Tax Rebate
7. Interest for late payment (if any)
8. amount of tax deferred/exempted
9. Total amount payable (4+5+6+7-8)
10. Input Tax Rebate
11. Input Tax Rebate and other credits carried forward from previous quarter
12. Other credits (TDS, RAO etc.)
13. Amount paid by challans
14. Unadjusted rebate and other credits carried over to next Quarter (TDS, RAO & challan amount).

DECLARATION

I, (Name) being of the above business firm do hereby declare that the information and particulars given in the return which has been transmitted electronically by me *vide* acknowledgement number mentioned above are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Place

Date :

Signature of the dealer

Note.—This Form shall be signed by any person as prescribed in sub-rule (1) of rule 11 of Madhya Pradesh Vat Rules, 2006.

For Office Use onlyReturn Verification Form for the quarter/year
of F. Y.

Submitted on : / /

Signature of Receiving
Official
(Employee IDEntered into application
Software on : / /Signature of Data Entry
Official
(Employee ID**ACKNOWLEDGEMENT**

Return Verification Form Receipt Number :

Date: / /

Quarter/Year of F.Y. TIN 2 3

Name of the Dealer and address
(Affix Seal)
Circle OfficeSignature of Receiving Official
(Employee ID:)

(14) After form 10, the following form shall be inserted, namely:—

"FORM-10-A
(See rule 23-A)**Return Verification Form**

Year/Quarter/month	of	TIN	2	3	(Original/Revised)		
	F.Y.						
Return For the period	DD	MM	YYYY	To	DD	MM	YYYY
Name and address of the Dealer (Affix Seal)							
E-filing				Date	DD	MM	YYYY

Acknowledgement Number

1. Gross turnover (GTO)
2. Deductions
3. Taxable turnover (1-2)
4. Vat
5. Purchase Tax
6. Reversal of input Tax Rebate
7. Interest for late payment (if any)
8. Amount of Tax deferred/Exempted
9. Total amount payable (4+5+6+7-8)
10. Input Tax Rebate
11. Input Tax Rebate and other credits carried forward from previous quarter
12. Other credits (TDS, RAO etc.)
13. Amount paid by Challans
14. Unadjusted rebate and other credits carried over to next Quarter (TDS, RAO & challan amount)

DECLARATION

I, (Name) being
 of the above business firm do hereby declare that the information and particulars given in the return which has been transmitted electronically by me *vide* acknowledgement number mentioned above are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Place

Date :

Signature of the dealer

Note.—This Form shall be signed by any person as prescribed in sub-rule (1) of Rule 11 of Madhya Pradesh Vat Rules, 2006.

For Office Use only

Return Verification Form for the Year/quarter/month

of F. Y.

Submitted on : / /

Signature of Receiving
Official

(Employee ID

Entered into application

Software on : / /

Signature of Data Entry
Official

(Employee ID

ACKNOWLEDGEMENT

Return Verification Form Receipt Number :

Date: / /

Year/Quarter/Month

of F.Y. .

TIN

2

3

Name of the Dealer and address

(Affix Seal)

Circle Office

Signature of Receiving Official
(Employee ID:)

By order and in the name of the Governor of MadhyaPradesh,
 R. K. YADAV, Addl. Secy.